

कम कीमत पर अच्छे आवास

॥ तुलसी ॥

1 एवं 2 बीएचके किफायती घर । उपवन, बहरोड़

स्वागत कीजिये सम्पूर्ण, समृद्ध एवं सुखद जीवनशैली का

लॉटरी द्वारा आवंटन । आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 27 अप्रैल 2018



मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत ऋण, सब्सिडी एवं अन्य सभी लाभ

कम कीमत में आपका अपना घर, आपकी अद्वितीय पहचान



"तुलसी - उपवन बहरोड" राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1C(II) के अर्न्तगत रैवरैन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एलएलपी की एक नवीन व उत्तम; अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना है।



टाउनशिप के आकर्षण



जयपुर दिल्ली एन.एच.8 पर स्थित



खुला वातावरण



गुणवत्त निर्माण



तयसमय इकाईयों
का कब्जा



प्रमुख बैंकों द्वारा 90%
तक ऋण सुविधा



PMAY / CLSS स्कीम के अंतर्गत
₹ 2.67* लाख तक की सब्सिडी

सुख-सुविधाएं

- अच्छी प्लानिंग
- किड्स प्ले एरिया
- मंदिर
- शॉपिंग सेंटर
- इनडोर गेम्स एरिया
- भूकंप प्रतिरोधी स्ट्रक्चर
- बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल
- जिम्नेजियम एवं योगा सेंटर
- पूरी तरह हवादार एवं रोशनी युक्त यूनिट
- 24*7 पावर बैकअप (कॉमन एरिया के लिए)
- लिफ्ट की सुविधा
- बड़ा हरा भरा पार्क

मुख्य एनएच-8 पर स्थित

अल्प आय वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
की इकाइयों में बड़े व आरामदायक कमरे



पात्रता और शर्तें

1. योजना का विवरण:

- I. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1C(ii) के तहत निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए इकाइयों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।
- II. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत निजी विकासकर्ता रेवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एलएलपी द्वारा परियोजना "उपवन-गार्डन" सिटी में निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग की इकाइयाँ "तुलसी" प्लॉट नं. 1, एन.एच.-8, (जयपुर दिल्ली की ओर) बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर पर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्न है:-

ईकाई का प्रकार	सुपर बिल्टअप एरिया	कॉरपेट एरिया	ईकाई की राशि ₹ में मय जीएसटी	आवेदन हेतु राशि ₹ में
निम्न आय वर्ग	677.21 वर्ग फीट	495.68 वर्ग फीट	9,86,000.00	98,000.00
आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	408.22 वर्ग फीट	290.30 वर्ग फीट	5,95,000.00	59,000.00

2. पात्रता:

- I. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक को राजस्थान के मूल निवासी (Domicile of Rajasthan) होने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित/राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक संलग्न करना होगा। या यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का निवासी है, वह पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हो।
- II. राज्य में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, मछुआरे, खनन श्रमिक राजस्थान राज्य का निवासी न होने की दशा में भी आवेदन कर सकते हैं।
- III. निम्न आय वर्ग इकाइयों हेतु आवेदक की वित्तीय वर्ष 2016-17 में वार्षिक आय ₹ 3.00 से ₹ 6.00 लाख तक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के ₹ 3.00 लाख तक होनी चाहिए।
- IV. आवेदक की आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- V. आवेदक स्वयं या उसकी पत्नी/पति या किसी आश्रित (अविवाहित बच्चे) के नाम राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीज होल्ड/फ्री होल्ड) नहीं होना चाहिए।
- VI. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक, आवेदन पत्र में बैंक का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करें।
- VII. पात्रता की शर्तें पूरा करने पर पति/पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर ईकाई के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही प्लॉट आवंटित किया जाएगा।

3. आवेदक की आय :-

- I. आय संगणना आवेदक की स्वयं एवं सभी आश्रितों की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी।
- II. नौकरी पेशा आवेदक की सकल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र संबंधित नियोक्ता से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 3)
- III. आवेदक के स्वयं नियोजित (Self Employ) होने की दशा में आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार, एसडीओ, अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित अथवा स्वयं के द्वारा प्रमाणित (Self Attested) कराकर नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 2)

4. आवेदन कैसे करें:—

- I. आवेदक निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भर कर अन्तिम तिथि तक आवेदन के साथ निम्न आय वर्ग के लिए ₹ 98,000 /— अक्षरे अठ्यानवे हजार रुपये एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए ₹ 59,000 /— अक्षरे उनसठ हजार रुपये की आवेदन राशि (बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट) के साथ जमा कराना होगा।
- II. “उपवन-गार्डन सिटी” आवासीय परियोजना की वेबसाइट www.rlgindia.com से आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन जमा कराया जा सकता है।
- III. आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code बैंक का नाम मय शाखा के पूर्ण विवरण सहित उल्लेख करें। इसके अभाव में असफल आवेदक की राशि उसके खाते में वापिस जमा करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की नहीं होगी।
- IV. बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, आवेदन पत्र एवं स्वयं का मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप में अंकित करें।
- V. आवेदन राशि **Reverence Infrastructure (India) LLP Behror Project** के पक्ष में बैंकर्स चैक / डी.डी. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र जमा केन्द्र पर—फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
- VI. कम्पनी द्वारा समस्त भुगतान डीडी / बैंकर्स चैक / चैक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे। भुगतान सीधे ही **RTGS** द्वारा “**Reverence Infrastructure (India) LLP Behror Project**” के **BOB** बैंक की शाखा मिड कॉर्पोरेट के खाता संख्या **39500200000052, ISFC कोड BARB0MIDJAI** में जमा कराया जा सकता है।
- VII. आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत ईकाई लेना चाहता है (जिन मामलों में आवेदक अशक्त है, ऐसे मामलों में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता / सकती है।) आवेदक को आवेदन पत्र में किसी विवरण को काटने / मिटाने अथवा इस पर दोबारा (ओवर राईटिंग) लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसा होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विकासकर्ता द्वारा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- VIII. किसी भी शर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि:—

दिनांक 30 अप्रैल, 2018 को सांय 5.00 बजे तक निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत जमा करवाया जा सकता है।

“उपवन-गार्डन सिटी” परियोजना कार्यालय :
“उपवन-गार्डन सिटी”, एन.एच.8, (जयपुर-दिल्ली की ओर) बहरोड, जिला अलवर

6. आवंटन का परिणाम

- I. सफल आवेदकों के चयन हेतु लॉटरी दिनांक 08 मई, 2018 को सुबह 11.00 बजे तत्समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष निकाली जावेगी।
- II. सफल आवेदकों की सूची कार्यालय के मुख्य सूचना पटल पर भी देखी जा सकती है।
- III. सफल आवंटियों को आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे तथा ड्रॉ का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- IV. सफल आवंटन की स्थिति में आवेदक को आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा।
- V. असफल आवेदकों को उनकी आवेदन राशि लॉटरी के पश्चात् 45 कार्य दिवस के भीतर बिना किसी ब्याज के बैंक खाते में लौटा दी जाएगी।

7. आवंटन की स्थिति में जमा कराए जाने वाले दस्तावेज

- I. शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), निवास का प्रमाण यथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड।
- II. आवेदन पत्र में उल्लेखित खाते की बैंक पास बुक/खाते का पिछले एक वर्ष का विवरण की स्व प्रमाणित प्रति।
- III. वित्तीय वर्ष 2016-17 के आधार पर स्वयं एवं परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
- IV. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/पैन कार्ड आदि में से कोई भी एक)

8. भुगतान की प्रक्रिया

निम्न आय वर्ग में आवंटन के पश्चात ईकाई की कीमत का भुगतान निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगा:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय (आवेदन के साथ जमा पंजीकरण राशि ₹ 98,000/- को समायोजित करते हुए)	20%	99,200.00
2	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	15%	1,47,900.00
3	भूतल की छत डलने पर	10%	98,600.00
4	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	98,600.00
5	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	98,600.00
6	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	98,600.00
7	चतुर्थ तल की छत डलने पर	10%	98,600.00
8	चुनाई का कार्य प्रारम्भ होने पर	5%	49,300.00
9	फर्श का कार्य शुरू होने पर	5%	49,300.00
10	कब्जा दिये जाने के समय	5%	49,300.00
	कुल:-	100%	
12	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि (₹50/-प्रति वर्ग फीट की दर से)		33,860/-

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में आवंटन के पश्चात ईकाई की कीमत का भुगतान निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगा:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय (आवेदन के साथ जमा पंजीकरण राशि ₹ 59,000/- को समायोजित करते हुए)	20%	60,000.00
2	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	15%	89,250.00
3	भूतल की छत डलने पर	10%	59,500.00
4	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	59,500.00
5	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	59,500.00
6	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	59,500.00
7	चतुर्थ तल की छत डलने पर	10%	59,500.00
8	चुनाई का कार्य प्रारम्भ होने पर	5%	29,750.00
9	फर्श का कार्य शुरू होने पर	5%	29,750.00
10	कब्जा दिये जाने के समय	5%	29,750.00
	कुल:-	100%	
12	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि (₹50/-प्रति वर्ग फीट की दर से)		20,411/-

9. निम्न कारणों से भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे अथवा निरस्त कर दिये जावेंगे—

- I. प्रार्थी के पास स्वयं या पति/पत्नी अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दस्तक पुत्री के नाम से शहर में मण्डल नगरपालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास किसी वर्ग या श्रेणी का होने पर।
- II. पैरा नं. 2 में वर्णित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने पर।
- III. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्य असत्य/त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवंटित मकान निरस्त कर दिया जावेगा।
- IV. अवयस्क व्यक्ति द्वारा या उसके नाम से आवेदन पत्र भरा पाये जाने पर।
- V. आवेदन पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट भरा हुआ होने की दशा में।
- VI. पंजीकरण राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के अलावा अन्य प्रकार से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर।

10. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:—

- I. ईकाई 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- II. आवंटी को विक्रय-विलेख के पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही ईकाई का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा।
- III. सफल आवेदक को निम्न आय वर्ग के लिए ₹ 50/— प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रखरखाव राशि ₹ 33,860/— तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए ₹ 50/— प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रखरखाव राशि ₹ 20,411/— देनी होंगी, जो कि विकासकर्ता / नगर विकास न्यास / RWA के पास परियोजना के रख-रखाव हेतु जमा रहेगी।
- IV. आवंटी का आवासीय ईकाई से संबंधित सर्वजन उपयोगी क्षेत्रों की मरम्मत/देखभाल/ रख-रखाव तथा सामुहिक सुविधाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए आवंटियों द्वारा गठित एक पंजीकृत संस्था/सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- V. भविष्य में संस्था/सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा नियमित रूप से जमा करानी होगी।
- VI. आवंटी द्वारा उक्त सोसायटी द्वारा सर्वजन उपयोगी क्षेत्र के रख-रखाव पर आने वाले समस्त खर्चों को सोसायटी के सदस्यों में आपस में बाँटे जाने पर हिस्से में आये मासिक खर्च का भुगतान करना होगा। जिसके लिए आवेदक की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- VII. किसी भी प्रकार का कर/शुल्क यदि सरकार को देय होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
- VIII. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- IX. भारत सरकार से ब्याज में छूट का पुनःभरण नहीं होने के लिये विकासकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए विकासकर्ता प्रयास करेगा, किन्तु इसकी राशि प्राप्त होने में देरी अथवा प्राप्त नहीं होने के लिए विकासकर्ता किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके तहत अधिकतम ₹ 6.00 लाख रुपये पर 6.5 प्रतिशत ब्याज की पुनःभरण राशि प्रार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्राप्त की जा सकेगी।
 - ब्याज में छूट के पुनःभरण हेतु बैंक द्वारा भारत सरकार की बैंक को प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा, वहाँ से स्वीकृति मिलने के पश्चात् सम्बन्धित बैंक द्वारा पुनःभरण की राशि आवंटी के लोन/ऋण खाते में बैंक द्वारा सीधे ही जमा कर दी जावेगी।
 - इस प्रकार ईकाई की कुल कीमत में ब्याज पुनःभरण राशि की छूट प्रार्थी को सीधे ही प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत प्राप्त होगी। यह राशि बैंक व भारत सरकार के निर्णय के आधार पर स्वीकृत होगी।

- X. राज्य/भारत सरकार के समय – समय पर प्रचलित नियम आवंटी पर लागू रहेंगे।
- XI. यदि कोई आवंटी अपना ईकाई निरस्त कराना चाहता है तो उसे लिखित में आवेदन करना होगा व उसकी जमा राशि का पुर्न भुगतान (रिफण्ड) उस ईकाई के अन्य आवंटी को आवंटन होने के पश्चात् उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दी जावेगी। विकासकर्ता स्वयं के द्वारा प्रार्थी की जमा राशि का पुर्न भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- XII. आवंटी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर उसे विलम्ब अवधि की बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
- XIII. आवंटी द्वारा लगातार दो किस्तों के भुगतान नहीं किये जाने पर विकासकर्ता निरस्तीकरण हेतु आवंटी को 30 दिवस का नोटिस देकर उसका आवंटन निरस्त कर सकेगा। उसकी जमा राशि का पुर्न भुगतान (रिफण्ड) उस ईकाई के अन्य आवंटी को आवंटित होने के पश्चात् उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दिया जावेगा। विकासकर्ता स्वयं के द्वारा प्रार्थी की जमा राशि का पुर्न भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- XIV. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन फार्म भरते समय महिला का नाम अथवा महिला एवं पुरुष दोनों का संयुक्त नाम होने की प्राथमिकता है।
- XV. लॉटरी निकालने की तिथि व समय के लिए अन्य कोई सूचना प्रकाशित नहीं कराई जावेगी।
- XVI. भूमि का रूपांतरण मुख्यमंत्री जन-आवास योजना के तहत प्रावधान 1C(ii) के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मानचित्र नगर विकास न्यास, भिवाडी, द्वारा स्वीकृत हैं एवं परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या है।

नोट:—वर्गकार इकाइयों का आवंटन उनके आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार भवन समूहों में एक तरफ इकाइयाँ चिन्हित कर लॉटरी द्वारा किया जावेगा।



CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA-2015

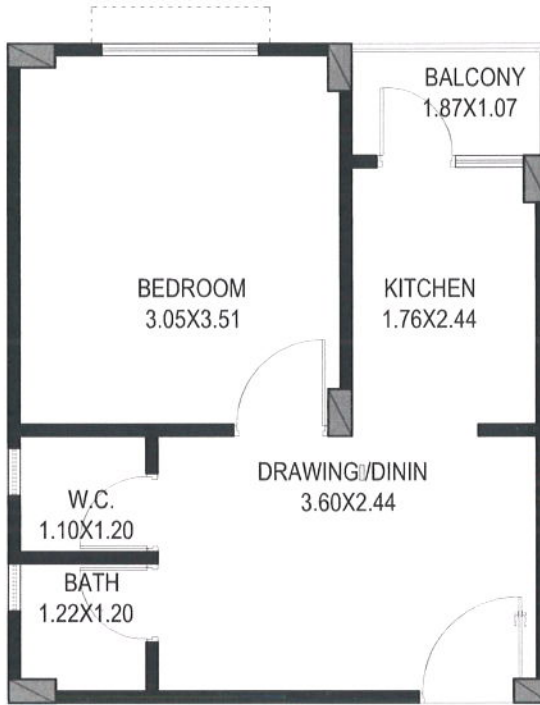
With Focus on EWS & LIG Housing
(For Urban Areas of Rajasthan)

विकासकर्ता

मैसर्स रैवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एल.एल.पी.

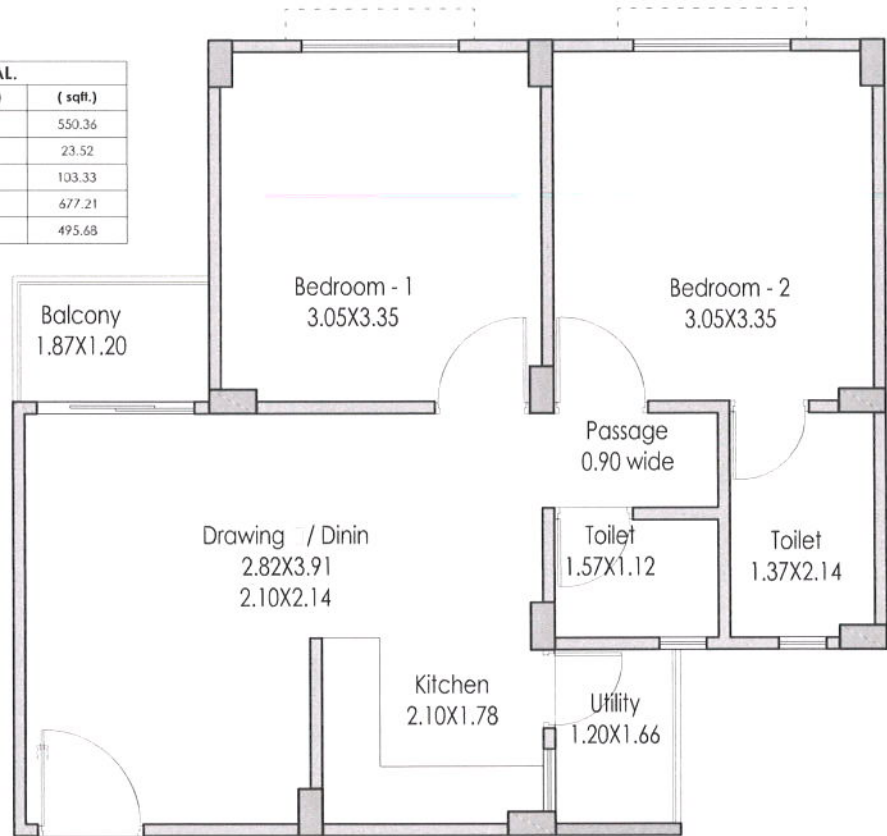
CIN No.: AAD-5999

प्रस्तावित यूनिट प्लान



EWS UNIT CAL.		
	(sqmt.)	(sqft.)
UNIT BUA	30.40	327.22
BALCONY(50 %	1.00	10.71
COMMON AREA	6.53	70.29
SALEABLE AREA	37.93	408.22
CARPET AREA	26.97	290.30

LIG UNIT CAL.		
	(sqmt.)	(sqft.)
UNIT BUA	51.13	550.36
BALCONY(50 %	2.19	23.52
COMMON AREA	9.60	103.33
SALEABLE AREA	62.92	677.21
CARPET AREA	46.05	495.68



(नोट:- कुल सुपर बिल्ट अप एरिया में परियोजना मानचित्र अनुमोदन के समय $\pm$ 2% तक बदलाव होने पर ईकाई की कीमत यथावत् रहेगी।)

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
 उम्र जाति निवासी
 सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मैं, ..., राजस्थान राज्य का स्थायी/जन्म से निवासी हूँ
 या
 गत एक वर्ष से राजस्थान राज्य में रहकर का कार्य कर रहा हूँ
2. मेरे पास स्वयं या/और मुझ पर आश्रित वयस्क/अवयस्क पुत्र/पुत्री या दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम से शहर में विरासतन प्राप्त पैत्रिक या और नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम, नगर विकास न्यास या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
3. मेरी और मेरे पति/मेरी पत्नी और मुझ पर आश्रित किसी भी अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री का व्यापार/कृषि/किराया/ब्याज या किसी भी अन्य स्रोत से हम सभी को मिलाकर सकल वार्षिक आय / - अक्षरे रूपये
 मात्र है।

शपथ ग्रहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री
 निवासी
 सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि
 उपरोक्त पैरा 1 लगायत 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री

उम्र जाति निवासी

.....सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

1. यह कि हमारी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार है:-

(अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्रोतों से रुपये थी।

(ब) मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये है।

2. यह कि हमारी कुल वार्षिक आय में हमारी रुपये है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री सत्यनिष्ठा से घोषणा

करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा तथ्य जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

(प्रारूप-3)

आय प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री इस विभाग में

के पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु. है।

एस.डी.ओ./तहसीलदार/नियोक्ता
सत्यापित



लोकेशन मैप

मानचित्र माप से नहीं है



**बहरोड़
के प्रमुख
स्थल पर**

बेमिसाल लोकेशन -

- मुख्य दिल्ली जयपुर हाइवे पर स्थित • सभी मूलभूत आवश्यकताएँ नज़दीक • बहरोड़ के प्रमुख स्थान पर स्थित
- प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान नज़दीक • विश्वस्तरीय कैलाश हॉस्पिटल नज़दीक • सुगम यातायात साधन उपलब्ध
- रीको इंडस्ट्रियल एरिया से नज़दीक होने से रोजगार के बेहतरीन विकल्प

उत्तम निर्माण के लिए वचनबद्ध:-



उपवन गार्डन सिटी:

रैवरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एलएलपी
जयपुर-दिल्ली हाईवे (एनएच-8),
बहरोड़, जिला अलवर

www.upvan.com

अधिक जानकारी के लिए:

78210 77000
87418 55000
87398 55000